



कार्यालय पुलिस उपायुक्त काशी जोन, पुलिस कमिश्नरेट, वाराणसी

प्रेस-नोट

दिनांक:-29.04.2023

जैतपुरा पुलिस की प्रभावी पैरवी से महिला सम्बन्धी अपराध में एक अभियुक्त मनीष कुमार पुत्र शिशुपाल को अंतर्गत धारा 376 भादवि में आजीवन कारावास तथा एक लाख अर्थदण्ड की मिली सजा ।

थाना-जैतपुरा में पंजीकृत मु0अ0सं0- 48/2013 धारा- 376 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त मनीष कुमार पुत्र शिशुपाल सिंह निवासी एस0 23/62-20- मुहल्ला ढेलवरिया, थाना जैतपुरा जिला वाराणसी को थाना जैतपुरा की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश पाक्सो मेन वाराणसी द्वारा दिनांक-29.04.2023 को धारा 376 भादवि अन्तर्गत आजीवन कारावास तथा 1,00,000/- (एक लाख रूपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है । अर्थदण्ड न अदा करने पर अभियुक्त उपरोक्त को दस माह का अतिरिक्त साधारण कारवास भुगतना होगा ।

सोशल मीडिया सेल
कार्यालय पुलिस उपायुक्त
जोन-काशी
कमिश्नरेट-वाराणसी